

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, शाहपुरा जिला भीलवाड़ा (राजो)
 पीठासीन अधिकारी : श्री शिल्पा किं. ई. एस.
 प्रकरण संख्या 15 / 2020
 प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट, 1956
 उनवान

देवी लाल पुत्र रूपा कंठार निवासी शाहपुरा

वनाम - प्रार्थी / प्रार्थीम्य
 प्रेमी कंठार पत्नी मोहन कंठार निवासी शाहपुरा

उपस्थित :- श्री जिले के जे. ए. ए. प्रिंसिपल जागी - विपक्षी / विपक्षीगण

निर्णय दिनांक 08-09-2020
 प्रार्थी / प्रार्थीम्य की ओर से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत विपक्षी / विपक्षीगण के प्रस्तुत किया गया, जिसके संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है :- प्रार्थी / प्रार्थीम्य के ग्राम शाहपुरा तहसील शाहपुरा / जिला भीलवाड़ा में स्थित आराजी खसरा नम्बर 3304 रकबा 0.11, 3305 रकबा 0.33, 3303 रकबा 0.52,

कुल किता 03 रकबा 0.96 हैक्टर का प्रार्थी / प्रार्थीम्य खातेदार / संयुक्त खातेदार काश्तकार है। वादग्रस्त भूमि के विपक्षी / विपक्षीगण पड़ोसी है। प्रार्थी / प्रार्थीम्य एवं विपक्षी / विपक्षीगण के मध्य आराजी के सीमाचिन्ह नहीं होने से आये दिन सीमा संबंधी विवाद उत्पन्न होता रहता है अतः पत्थरगढ़ी कराई जावे।

प्रकरण पंजीबद्ध किया जाकर विपक्षी / विपक्षीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। विपक्षी / विपक्षीगण बावजूद सूचना उपस्थित नहीं होने से एक तरफा कार्यवाही की जाकर बहस अभिभाषक प्रार्थी / प्रार्थीम्य सुनी गई। हमने पत्रावली का एवं प्रस्तुत खाते की नकल जमाबन्दी ग्राम शाहपुरा संवत् 2076 से 2079 तक का अवलोकन किया उपरोक्त वर्णित आराजीयात के प्रार्थी / प्रार्थीम्य खातेदार / संयुक्त खातेदार दर्ज होकर अपनी आराजीयात की पत्थरगढ़ी कराना चाहते हैं। अतः प्रार्थी / प्रार्थीम्य द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर मौजा शाहपुरा में स्थित प्रार्थी / प्रार्थीम्य की उपरोक्त खातेदारी / संयुक्त खातेदारी की आराजीयात किता 03 रकबा 0.96 हैक्टर की पुख्ता पत्थरगढ़ी पक्षकारान की मौजूदगी में अगर मौके पर अन्य कोई विवाद न हो व कोई प्रकरण न्यायालय में विचाराधीन न हो तो कब्जे में हस्तक्षेप नहीं करते हुए पत्थरगढ़ी किये जाने हेतु तहसीलदार शाहपुरा को कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। पत्थरगढ़ी हेतु कमिश्नर फीस 300/- रुपये कायम किये जाते हैं जो प्रार्थी / प्रार्थीगण से तहसीलदार शाहपुरा को प्राप्त करे। पत्थरगढ़ी मौका पर्चा पेश करे। पत्रावली फौसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तहसील दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 08-09-2020 को सरे इजलास सुनाया गया।

56-
 उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलेक्टर शाहपुरा (भीलवाड़ा)



प्रतिलिपि:- तहसीलदार, शाहपुरा / पास भेजकर लेख है कि मुताबिक आदेश पक्षकारान की मौजूदगी में नियमानुसार पत्थरगढ़ी की जाकर पालना रिपोर्ट शीघ्र भिजावे।



उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलेक्टर शाहपुरा (भीलवाड़ा)